


23.8.18 पत्रावली सिंगह से तलब की गई वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया गया कि हमारे दोनों पक्षों के उरिलाल मध्य राजीनामा हो चुका है। अब वही आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसी कारण प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर रवारिज फरमाया जाये।

मैंने पत्रावली का अपलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। तथा प्रार्थना पत्र की बहस पर मन्व किया गया। व्यापक में वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आपसी राजीनामा हो जाने तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर रवारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार लेकर दफ़्तर हारिबल है। पत्रावली खल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलवाड़ा